52

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

(परशोत्तम रुपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2014-15 के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2014-15 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मदें	रुपये लाख में
ब्याज और अन्य से आय	334.54
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	104.93
व्यय से अधिक आय	229.61
जनरल रिज़र्व में अंतरित	50.18
शेष राशि 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के प्रयोजनों के लिए अलग	179.43
कुल राशि	229.61

श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव (एम. आई. डी. एच.) फरवरी 2013 से निदेशक, एन.सी.सी.डी. के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। कोल्ड-चेन उद्योग के एक विशेषज्ञ, श्री पवनेष कोहली को फरवरी, 2014 से एन.सी.सी.डी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 31-03-2015 को, निदेशक (संयुक्त सचिव -एम.आई.डी.एच.) के अलावा, छह पद भरे गए थे।

जून 2014 में, कार्यालय स्थल जनपथ भवन में स्थानांतरित हुआ। कार्यालय परिसर को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की टीम के साथ साझा किया गया है।

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा दिनांक 11-9-2014 को "ई-भागीदारी" कार्यक्रम के भाग के रूप में एन.सी.सी.डी द्वारा विकसित एक अवधारणा द रिफर व्हीकल कॉल-इन-सेंटर(आर.वी.सी.) को शुरू(लॉन्च) किया गया था । एन.सी.सी.डी द्वारा एक सदस्य संगठन के साथ यह गतिविधि की जाती है और जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन के राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में आबंटन से लेकर कार्ययोजना तक पूरा व्यय करते हैं ।
- एन.सी.सी.डी. ने कोल्ड-चेन घटकों(कंपोनेंट्स) में क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश और न्यूनतम प्रणाली मानक निर्धारित करते हुए एक दस्तावेज विकसित किया । यह दस्तावेज एम.आई.डी.एच की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के उपयोग हेतु जारी किया गया था ।
- इस अवधि में एन.सी.सी.डी. ने एम.आई.डी.एच की परियोजना मूल्यांकन समिति को सौंपी गई कोल्ड-चेन परियोजनाओं के मूल्यांकन में सहायता की ।
- एन.सी.सी.डी. ने 1788 व्यक्तियों के लिए कोल्ड-चेन विकास पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कीं । कार्यशालाएं तीन विषयों अर्थात् राइपनिंग चैंम्बर्स, कोल्ड-चेन प्रौद्यागिकी एवं कोल्ड-चेन प्रबंधन पर आयोजित की गई थीं । इन्हें एन.सी.सी.डी. को एम.आई.डी.एच की राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी(एन.एल.ए) के रूप में वार्षिक कार्ययोजना में किए आबंटन से किया गया था ।
- कोल्ड-चेन में ज्ञान प्रसार के तहत राज्य सरकारों के साथ कई अन्य कार्यशालाएं आयोजित की गईं । एक नए संगठन के रूप में एन.सी.सी.डी ने अपने हितधारककी सहभागिता और सार्वजनिक उपस्थिति(पब्लिक प्रजेंस) का लगातार विस्तार किया है ।
- एन.सी.सी.डी के उद्योग के सदस्यों ने गतिविधियों में भाग लिया और एन.सी.सी.डी द्वारा प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) सम्मेलन(कॉन्क्लेव) में योगदान दिया, साथ ही एन.सी.सी.डी ने बिना किसी लागत के रिफर ड्राइवरों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम की मेजबानी की ।
- एन.सी.सी.डी ने फ्रांस और जर्मनी के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूहों में सक्रिय रूप से भाग लिया है । एन.सी.सी.डी को वैश्विक मंच पर कोल्ड-चेन प्रणालियों पर विशेषज्ञ चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया गया था ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यदल(टास्क फोर्स) द्वारा कोल्ड-चेन पर एन.सी.सी.डी इनपुट पर विचार किया गया, जिसने अक्तूबर 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- एन.सी.सी.डी कृषि और सहकारिता विभाग का समर्थन कर रहा है और एन.सी.सी.डी की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता है और उनका समर्थन किया जाता है ।

54

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

(परशोत्तम रुपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था।

दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2015 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने 21.12.2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों

को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।